



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 736) पटना, मंगलवार, 7 जुलाई 2026

उच्च शिक्षा विभाग

अधिसूचना
2 जुलाई 2026

सं० 19/एम 1-51/2026-1188—बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के कार्य संचालन हेतु बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन नियमावली, 2021 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित कार्य संचालन नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।—

- (1) यह नियमावली "बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2026 कहलाएगी।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन नियमावली, 2021 के नियम-3.4 का संशोधन।—बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन नियमावली, 2021 के नियम-3.4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा —

“3.4 प्रत्येक विषय हेतु आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक साक्षात्कार बोर्ड गठित किया जा सकेगा, जिसके अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त ज्यादा संख्या में बोर्ड की आवश्यकता की स्थिति में राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर अध्यक्ष द्वारा उस विषय के प्रख्यात सेवारत् शिक्षाविद् (प्रोफेसर से अन्यून पंक्ति के) को साक्षात्कार बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया जा सकेगा। इसके साथ-साथ परिनियम में निर्धारित संख्या के अनुसार विषय विशेषज्ञों को आयोग के अध्यक्ष द्वारा साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

The 2nd July 2026

No. 19/M 1-51/2026-1188—For the functioning of the Bihar State University Service Commission, the Governor of Bihar hereby makes the following amendments to the Bihar State University Service Commission Rules of Procedure, 2021.

1. *Short title and commencement.*—

- (1) These rules shall be called " The Bihar State University Service Commission Rules of Procedure (Amendment), 2026"
- (2) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. *Amendment in rules 3.4 of The Bihar State University Service Commission Rules of Procedure, 2021.*—Rules 3.4 of The Bihar State University Service Commission Rules of Procedure, 2021 shall be substituted as follows :

"3.4 For each subject, the Commission, may constitute one or more than one interview board as required and the Chairperson of such board shall be either the Chairperson or a member of the Commission. In addition, if a larger number of boards are needed, with prior approval of the State Government, the Chairman may nominate a serving academician (not below the rank of Professor) of subject concern as the Chairman of the interview board. Along with this, subject experts, as per number prescribed in the statutes, may be nominated by the Chairperson of the Commission as members of the interview board."

By the Order of Governor of Bihar,

Sd/-Illegible,

Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 736-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>